# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश

**प्रियदर्शिनी वन विश्राम गृह परिसर, चार इमली, भोपाल – फोन नं. 0755–2421459; 2421451**

**E-mail—acf.stsf@mp.gov.in**

क्रमांक/STSF/2018/101 भोपाल, दिनांक : 29/01/2018

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
2. समस्त क्षेत्र संचालक/संचालक, टाइगर रिजर्व
3. समस्त क्षेत्रीय महाप्रबंधक वन विकास निगम
4. समस्त वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)
5. समस्त मंडल प्रबंधक वन विकास निगम

मध्य प्रदेश।

**विषयः— वन्यप्राणियों की मृत्यु/शिकार के प्रकरण के संबध में डॉग स्क्वाड का उपयोग एवं पोस्टमार्टम।**

——————

आपके अधीन क्षेत्रों में यदि वन्यप्राणी बाघ, तेन्दुआ एवं भालू की मृत्यु/शिकार की घटना प्रकाश में आती है तो इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों तथा एन.टी.सी.ए. नई दिल्ली द्वारा जारी एस.ओ.पी. के अनुसार कार्रवाई करें। इसके अतिरिक्त कार्रवाई करते समय निम्न बिन्दुओं का भी ध्यान रखा जाये :—

1. निकटतम श्वान दल (डॉग स्क्वाड) को अविलम्ब सूचित कर घटना स्थल पर बुलावें तथा डॉग स्क्वाड के आने तक किसी भी व्यक्ति को वन्यजीव के शव के समीप न जाने दें। घटना स्थल के चारों ओर रस्सी/टेप से सीमा बनाकर स्थल को सुरक्षित (Cordon off) करें।
2. मृत बाघ, तेन्दुआ एवं भालू का पोस्टमार्टम डॉग स्क्वाड के आने के बाद ही करावें। पोस्टमार्टम निकटतम टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान या सेन्टर फॉर वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक एण्ड हेल्थ, जबलपुर के विशेषज्ञ या अन्य किसी विशेषज्ञ वन्यप्राणी पशु चिकित्सक से ही करवायें। संबंधित वन्यप्राणी पशु चिकित्सक से पोस्टमार्टम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में ही प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

19.1.18

**(जितेन्द्र अग्रवाल)**
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), म.प्र.

पृ. क्रमांक/STSF/2018/102 भोपाल, दिनांक : 29/01/2018

प्रतिलिपि :—

1. प्रबंध संचालक, राज्य वन विकास निगम, मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, सेन्टर फॉर वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक एण्ड हेल्थ, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स, मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

19.1.18

मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), म.प्र.